राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप: यौनिकता की शिक्षा के प्रति नजरिया और रवैया?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा समग्र यौनिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के बारे में अनेक आपत्तियों को दर्शाता है। इस संबंध में जो भी संकेत या जिस भी प्रकार की आपत्तियां दर्ज हैं, वे या तो अपर्याप्त हैं या पूर्णतया निरर्थक हैं। क्या एक सार्थक जीवन की तैयारी के लिए यौनिकता की शिक्षा का होना उपयुक्त नहीं है?

स्रोत-*The Bastion* मार्च 11, 2020

लेख- पारुल मालिक एवं अनुराग शुक्ला

भारत में 'यौन' शिक्षा पर होने वाली कोई भी चर्चा मुश्किल और बहुधा छलावे वाली होती है। आमजन में इस बारे में बातचीत में अक्सर भारी मात्रा में हिचकिचाहट और असहजता महसूस होती है, खासकर बच्चों और युवाओं के संदर्भ में। अनेक निराधार दावों के अलावा, पूर्व में हमेशा ही यह तर्क दिया जाता रहा और इस आधार पर लड़ा जाता रहा है कि यौनिकता के बारे में शिक्षा एक निजी मामला है, यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है या यह किशोरों में अनैतिकता लाने और उन्हें भटकाने वाला विषय है;2009 निरंतर) (। ऐसा माना जाता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके माता पिता-के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और शिक्षक ऐसे विचारों से निपटने के लिए पूर्ण सक्षम नहीं हैं।

'यौन' संबंधी शिक्षा की दिशा में जब भी कोई प्रयास किए जाते हैं, तो वे यौन रोगों की रोकथाम और संयम-आधारित दृष्टिकोण तक सीमित होते हैं, जिसमें जननांगों के बारे में जानकारी, मासिक धर्म स्वास्थ्य, संभोग के जोखिम मय किशोरावस्था गर्भधारण आदि विषय शामिल होते हैं। पहले यह विषय, प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं के अंत में पारंपरिक रूप से विज्ञान के अंतर्गत शामिल हुआ करता था, जहां शरीर के बारे में पढ़ाने में हिचकिचाहट होती थी, छात्रों को प्रश्न करने की मनाही थी, और बहुधा विषय को मनमाने ढंग से बीच-बीच में छोड़ दिया जाता था और परीक्षा-योग्य प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उतनी ही जानकारी के बारे में पढ़ाया जाता था।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा में यौनिकता के बारे में विकसित सामाजिक-न्याय और अधिकार-आधारित पाठ्यचर्या के विचार के प्रति बढ़ती समझ ने पिछले कुछ समय से इस बहस को समग्र यौनिकता शिक्षा (कोम्प्रेहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन - सीएसई) की ओर निर्देशित कर दिया है।

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।

न केवल ऐसा हुआ है कि नीति के दस्तावेज में 'यौनिकता' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि 'यौन शिक्षा' को 'नैतिकता और नैतिक तर्क (एथिकल एंड मोरल रीजनिंग)' के घटक के तहत समाहित कर दिया गया है। ऐसा इसे " अपने आप को और हमारे आस-पास के लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण की एक सेवा के रूप में" आगे बढ़ाने के इरादे से किया गया है। इसके अलावा, कहीं-कहीं यह दबे स्वर में "सहमति, उत्पीड़न, महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा, परिवार नियोजन और यौन संचारित रोगों (एसटीडी) रोकथाम के इर्दगिर्द भविष्य के निर्णय" लेने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ करने की कल्पना प्रस्तुत करता है।

यहां कुछ चिंताजनक मुद्दे हैं। पहला, अभी भी किशोरावस्था/ किशोरों से जुड़े मुद्दों के उन राष्ट्रीय और सामाजिक रूप से सेवा योग्य निकायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है – जो कि किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) के पूर्व और बाद के दशकों में भी निरंतर रूप से जनसंख्या और रोग नियंत्रण संबंधी बहस में बने हुए हैं। 'सेक्स एजुकेशन' का ऐसा मेडिको-लीगल दृष्टिकोण सीमित और अदूरदर्शी है। दूसरा, विद्यार्थियों को "भविष्य के निर्णय" करने में सक्षम बनाने का विचार असंगत लगता है। यह एक स्पष्ट बात है कि जल्दी शादी करने या युवा लोगों की रोमांटिक सहमति भरी यौन साझेदारी के लिए उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और बराबरी के संबंधों पर बातचीत करने के लिए बहुत जल्दी कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस समूह में यौन और लिंग आधारित हिंसा, एसटीडी, असुरक्षित गर्भपात और किशोर गर्भधारण का जोखिम बढ़ जाता है।

साभार: ब्लू बुक, तारशी

बच्चों के खिलाफ यौनिक हिंसा और सीएसई के लिए मुद्दा

8 साल की बच्ची आसिफा के बलात्कार और हत्या ने देश में बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। एनसीआरबी द्वारा 2016 में जारी आंकड़ों के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार के 20,000 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 400 प्रतिशत अधिक है। सम्पूर्ण देश के स्तर पर, 2014-16 के दौरान कुल अपराधों के 34.4% मामले यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज किए गए थे – जिसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी से संबंधित और अन्य अपराध शामिल थे।

साभार : शरीर अपना, अधिकार अपने : समग्र यौनिकता शिक्षा पर आधारित नीति पत्र – दी वाय पी फाउंडेशन

वर्ष 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल यौन शोषण पर सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त अध्ययन में भी इसी तरह के चिंताजनक आंकड़े सामने आए थे। 13 राज्यों में 12,447 बच्चों और किशोरों का साक्षात्कार किया गया, जिनमें से 53% ने यौन शोषण के एक या एक से अधिक रूपों का सामना करने की बात स्वीकारी। इसके अलावा, 50% ने ऐसे व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की बात स्वीकार की जो विश्वासपात्र व जिम्मेदार सदस्य थे, और चिंताजनक रूप से, अधिकांश बच्चों ने कभी भी किसी को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना नहीं दी। इनमें से 52.94% लड़के थे, और लगभग 46% लड़कियां थीं। इस रिपोर्ट ने और तब से, 2013 में जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट व अन्य कई रिपोर्टों ने यौन हिंसा की पहचान करने, उससे निपटने और शिकायत दर्ज करने के लिए ज्ञान और क्षमता विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने की सिफारिश की है।

जेंडर, शरीर, और यौनिकता के सकारात्मक अनुभव

एनईपी के प्रारूप में "उत्पीड़न, महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा" (97) मुद्दों को महिलाओं से संबंधित मानते हुए रेखांकित किया गया है। जबकि इसके विपरीत, ये अनिवार्य रूप से जेंडर-आधारित मुद्दे हैं –जो कि सामाजिक समानता और न्याय के व्यापक सवालों को खड़ा करते हैं। ये सभी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, जिनमें लड़कियां / महिलाएं, जेंडर-नॉन-कन्फर्मिंग व्यक्तियों , विकलांग बच्चे और, मर्दानगी और स्त्रीत्व के गैर-वर्चस्ववादी रूप शामिल हैं।

शरीर, श्रम, संसाधनों, स्थानों पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण के मुद्दों या हिंसा और विषाक्त मर्दानगी के बीच संबंध को संभावित रूप से सीएसई के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। दिव्यांग और गैर-विषमलैंगिकता (नॉन-हेट्रोसेक्सुअल) वाली जेंडर पहचान और अभिव्यक्तियों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण बनाया जा सकता है। इस तरह का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए घर, स्कूल या समाज में जेंडर-आधारित हिंसा की पहचान करने में सक्षम होने के लिए एक जगह बनाता है और इसके खिलाफ बोलने के लिए एजेंसी विकसित करता है।

सीएसई विद्यार्थियों को अपनी यौनिकता के विभिन्न पहलुओं को अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मक रूप से अनुभव करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने शरीर की वैज्ञानिक समझ के साथ सशक्त बनाना, एक स्वस्थ शरीर की छवि को आगे बढ़ाना, सोशल मीडिया इंटरैक्शन (जैसे सेक्सटिंग या वेब-आधारित हिंसा) के नए रूपों से निपटने में मदद करना, मित्रवत और सम्मानजनक हेट्रो/ होमो व्यक्तियों के सामाजिक संघों का समर्थन करना, और भी अनेक मुद्दे आदि।

एनसीएफ 2005 के बाद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में जेंडर अवधारणा को विभिन्न विषयों के अंतर्गत जोड़ा गया है, उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विज्ञान और गणित में, तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में। चौथी कक्षा की पर्यावरण विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में 'अच्छे और बुरे स्पर्श' की बात की गयी है, लेकिन शरीर, जननांग, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत चर्चा केवल आठवीं कक्षा से शुरू होती है – वह भी विज्ञान पाठ्यपुस्तकों की चिकित्साकृत और असंबद्ध सामग्री के माध्यम से। अधिकांश छात्र 14 साल की उम्र में तब तक यौवन अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। विश्वसनीय जानकारी और सहयोग के अभाव में लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में अस्पष्ट समझ, मासिक

धर्म की दर्दनाक शुरुआत का अनुभव, संक्रमण के जोखिम में वृद्धि और सामाजिक-सांस्कृतिक वर्जनाओं को मजबूत होना जारी रहता है।

चालू शौचालयों, गोपनीयता या साफ पानी की अनुपस्थिति, बालिकाओं को अपने पीरियड्स से गरिमामय तरीके से न निपटने के लिए मजबूर बनाती है। ये मुद्दे या तो लड़कियों को एक साथ कई दिनों तक स्कूल न आने के लिए मजबूर करते हैं या उन्हें पूरी तरह से स्कूल से बाहर कर देते हैं। लड़के तब तक अपने शरीर में बदलाव के बारे में भ्रमित हो गए होते हैं या अपने साथियों के समूह के भीतर अपनी मर्दानगी (मर्दानगी) को 'साबित' करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तारशी, एजेंट्स ऑफ इश्क, एकलव्य, जुबान और कई अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों की पहल ने बच्चों और युवाओं के लिए यौनिकता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे शरीर, लिंग, पारस्परिक संबंधों से लेकर विशेष रूप से मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर भारी मात्रा में मीडिया सामग्री विकसित की है।

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनमें से अधिकांश चिंताओं को दूर करने में विफल हो रही है, इस दस्तावेज़ की एक गहन समीक्षा अपेक्षित है। त्रिभाषा फार्मूले पर विवाद के मामले की तरह, यहां भी, हमें एक व्यापक आधार वाला सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ सकता है ताकि इन सुधारों की तात्कालिकता को पहचाना जा सके। इस दिशा में कोई भी विफलता हमारे बच्चों के लिए घातक हो सकती है।